

राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय,
उदयपुर (राज.)
महिला प्रकोष्ठ

रिपोर्ट

(सत्र 2022–2023)

राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर




महिला प्रकोष्ठ (सत्र 2022–2023)

प्रतिवेदन

महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में दिनांक 10.08.2022 को राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के कैलेंडर के अनुसार पी सी पी एन डी टी एक्ट (प्री कन्सेप्शन एण्ड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक अधिनियम 1994) पर एक Online Lecture का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य वक्ता डॉ. राजेश करणपुरिया, डिप्टी डायरेक्टर मेडीकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज, सी सी एस (CCS) इन रेडियोलोजिस्ट और सीनियर मेडिकल ऑफिसर सोनालोजिस्ट राजकीय चिकित्सालय, नाथद्वारा थे। PCPNDT Act अर्थात् पूर्व गर्भाधान और प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, जिसे भारत की संसद ने 1994 में एक संघीय कानून द्वारा प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। इस विषय पर बोलते हुए कन्या भ्रूण हत्या और भारत में गिरते लिंगानुपात की समस्या को बताया। यह परम्परा व समस्या के वाहक अशिक्षित व निम्न व मध्यम वर्ग ही नहीं है बल्कि उच्च व शिक्षित समाज भी है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सूचना देने वाले को कुल तीन लाख की राशि प्रोत्साहन के रूप में दो किश्तों में दी जाती है, जिसमें डेढ़ लाख गर्भवती महिला को, सूचना देने वाले को 50,000 रुपये व मुखबिर को भी 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का प्रावधान रखा और उनके नामों को भी गुप्त रखा जायेगा ताकि वो डर से मुक्त होकर कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में आगे आये। ऐसे में अल्ट्रासाउंड या

अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले दम्पति या करने वाले डॉक्टर, लैब कर्मी को 3 से 5 वर्ष की सजा और 10000 से एक लाख रूपये के जुर्माने की भी सजा होती है। लेबोरेटरी का लाइसेंस खत्म करने मशीने जब्त करने और सजा आदि के बारे में विस्तार पूर्वक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उनके व्याख्यान से Online जुड़े हुये 17 विद्यार्थी व संकाय सदस्य लाभान्वित व प्रेरित हुए। और महाविद्यालय में प्राचार्य द्वारा छात्राओं व महाविद्यालय परिवार के संकाय सदस्य व अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों को भी कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए शपथ लेने का सुझाव दिया।

व्याख्यान के प्रारम्भ से पूर्व महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. अनिता कावड़िया ने मुख्य वक्ता व सहभागियों का स्वागत व अभिनन्दन किया व मुख्य वक्ता डॉ. राजेश करणपुरिया का परिचय दिया। और आयुक्तालय द्वारा आदेशित राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 के क्रियान्वयन जो कि सत्र 2022-23 में होना है उसके बारे में बताया और अगस्त माह में छात्राओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता के लिए और सामाजिक समस्याओं पर आधारित अधिनियम के तहत PCPNCT Act की छात्राओं को जानकारी हो और उनकी सक्रिय जागरूकता ही महिला के सशक्तिकरण में हर प्रकार का सहयोग देने की जरूरत है और इस काम की शुरुआत घर से होनी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अंजु बेनीवाल ने किया और धन्यवाद डॉ. अनिता कावड़िया, प्रभारी महिला प्रकोष्ठ ने दिया।



राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ, रोड सेफटी क्लब एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 14.09.2022 से 16.09.2022 तक होण्डा मोटर्स एवं मोटर्स इण्डिया प्रा. लिमिटेड व आधार फाउण्डेशन के सहयोग से तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. नीलम सिंघल एवं वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉ. अंजना गौतम ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला के प्रथम सत्र में छात्राओं को आधार फाउण्डेशन के नारायण चौधरी एवं होण्डा मोटर्स से ट्रेनर श्री जतिन कटारिया ने महिलाओं के लिए सुरक्षित वाहन चालन हेतु ध्यान रखने योग्य बातों को बताया इसमें 107 छात्राओं ने भाग लिया। इसके पश्चात् प्रेक्टिकल सत्र में छात्राओं को स्कूटी चलाने का प्रशिक्षण दिया व रोड सेफटी चिन्हों के बारे में विस्तृत जानकारी दी ताकि छात्राएँ सुरक्षित वाहन चालन करें।

कार्यशाला के दूसरे दिन 15.09.2022 के प्रथम सत्र में छात्राओं के साथ – साथ महाविद्यालय के संकाय सदस्यों के लिए भी सुरक्षित वाहन चालन प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें छात्राओं को राइडिंग गियर, राइडिंग पोश्चर, रोड चिन्ह, ब्रेकिंग सिस्टम और हैलमेट के उपयोग के बारे में बताया। इसमें 86 छात्राओं ने भाग लिया। इसके पश्चात् दूसरे सत्र में संकाय सदस्यों के लिए दोपहिया व चारपहिया वाहन चालन का प्रशिक्षण भी दिया गया।

कार्यशाला के तीसरे दिन दिनांक 16.09.2022 को प्रथम सत्र में राइडिंग ट्रेनर के माध्यम से वाहन चलाते समय अचानक उपस्थित होने वाले जोखिम व अप्रत्याशित दशाओं की जानकारी ट्रेनर श्री जतिन कटारिया द्वारा दी गयी, जिसमें छात्राओं ने काफी उत्साह दिखाया। उन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम से विभिन्न जोखिमपूर्ण स्थितियों का चित्रण किया एवं ऐसी परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर वाहन चालक के लिए

सबसे सही व सुरक्षित निर्णय क्या हो सकता है, इसका मार्गदर्शन दिया। इसमें 86 छात्राओं ने भाग लिया।

कार्यशाला का समापन दिनांक 16.09.2022 को हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि श्री शील मोहन शर्मा, मैनेजर लेकसिटी मोटर्स एवं विशिष्ट अतिथि श्री राजशेखर एरिया मैनेजर होंडा ने वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने एवं यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी। आधार फाउण्डेशन के श्री नारायण चौधरी ने लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया के बारे में बताया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. नीलम सिंघल ने छात्राओं को यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने व गति सीमा का ध्यान रखने की सलाह दी। समारोह में प्रशिक्षित छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। इस अवसर पर छात्रा संघ अध्यक्ष सुश्री किरण वैष्णव एवं श्रुति डबगर ने कार्यशाला के अपने अनुभव साझा किये। कार्यक्रम में रोड सेफ्टी क्लब प्रभारी डॉ. लाजवन्ती बनावत ने स्वागत उद्बोधन के साथ ही तीन दिवसीय कार्यशाला का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. कीर्ति माथुर ने छात्राओं को यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी। एन. एस. एस. प्रभारी डॉ. श्वेता व्यास ने छात्राओं को हेलमेट पहनने की सलाह दी। कार्यक्रम का संचालन डॉ. मोनिका डूंगरवाल एवं डॉ. कहानी भाणावत ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉ. श्रद्धा तिवारी ने दिया। कार्यक्रम में सभी समिति सदस्य डॉ. इन्दु शर्मा, डॉ. मनीषा चौबीसा, डॉ. सोफिया नलवाया, डॉ. मंजु खत्री एवं होण्डा मोटर्स से सेफ्टी एडवाइजर मोहम्मद नदीम ने भी कार्यशाला में सहयोग प्रदान किया।

तीन दिवसीय यह प्रशिक्षण कार्यशाला न केवल छात्राओं के लिए वरन् महाविद्यालय संकाय सदस्यों के लिए भी उपयोगी रही।





दिनांक 30.0.9.2022 को महिला प्रकोष्ठ एवं मानवाधिकार क्लब के संयुक्त तत्वावधान में विधिक जागरूकता व्याख्यान की श्रृंखला में "बेटियों के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार (Property rights for daughter's) विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। व्याख्यान में मुख्य वक्ता डॉ. मनोज छंगाणी (एल.एल.बी.), सहआचार्य रसायनशास्त्र, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर थे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता का स्वागत मानवाधिकार क्लब प्रभारी डॉ. मंजु फड़िया ने किया। महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. कीर्ति माथुर ने छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। डॉ. मनोज छंगाणी ने महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने छात्राओं को IPC की धारा 354 के बारे में जानकारी देते हुए अपने अधिकारों के प्रति प्रत्येक महिला को जागरूक होने की बात कही। श्री छंगाणी ने दहेज कानून, बेटियों के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण इत्यादि विषयों पर समस्त विधिक जानकारी से अवगत कराया।

39 छात्राओं ने इस कार्यक्रम में उत्सुकता से भाग लिया और अपनी जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में प्रश्न पूछकर जानकारी हासिल की। अंत में मानवाधिकार क्लब सदस्य डॉ. शिक्षा भारद्वाज ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्यक्रम में मानवाधिकार क्लब एवं महिला प्रकोष्ठ सदस्य डॉ. इन्दु शर्मा, डॉ. सोफिया नलवाया, डॉ. ऋतु दुबे ने सक्रिय हिस्सेदारी की।



दिनांक 29.11.2022 को महाविद्यालय सभागार में महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में बैंकिंग अवेयरनेस प्रोगाम का आयोजन किया गया। इसमें पंजाब नेशनल बैंक के मेनेजर एवं उनकी पूरी टीम उपस्थित रहे। बैंक मेनेजर F.K. Gupta द्वारा छात्राओं को बैंक सम्बन्धित जानकारी, अकाउन्ट खोलना तथा बैंकिंग कार्य में अवेयरनेस के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. मीना बया ने छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए सरकारी – बैंकों में ही अपना खाता खोलवाने पर जोर दिया ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। बैंक मेनेजर ने शिक्षा से सम्बन्धित लोन, ग्रामीण सेवा, सरकारी बैंकों का सामाजिक दायित्व, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना आदी की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए विद्यार्थी बचत खाता योजना में जीरो बलेन्स पर खाता खोलना एवं सरस्वती योजना में छात्राओं की कम से कम बलेन्स एवं ब्याज पर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

पंजाब नेशनल बैंक की टीम के सदस्यों ने ऑन द स्पॉट अकाउन्ट खोलकर छात्राओं को सुविधा प्रदान की। लगभग 15 खाते जीरो बलेन्स पर ऑन द स्पॉट खोले गये।

कार्यक्रम में महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. निधी शर्मा एवं अन्य सदस्य डॉ. मनीषा चौबीसा, डॉ. सोफिया नलवाया उपस्थित थे। संचालन डॉ. वैशाली देवपुरा ने किया। सभागार में लगभग 50 छात्राएं एवं अन्य संकाय सदस्य भी उपस्थित रहे।



Udaipur, Rajasthan, India

5, Residency Rd, near Hanuman Temple, Sardarpura, Bhopalpura, Udaipur, Rajasthan
313001, India

Lat 24.594999°

Long 73.694022°

29/11/22 01:07 PM GMT +05:30



Udaipur, Rajasthan, India

5, Residency Rd, near Hanuman Temple, Sardarpura, Bhopalpura, Udaipur, Rajasthan
313001, India

Lat 24.594999°

Long 73.694022°

29/11/22 01:08 PM GMT +05:30



दिनांक 14.01.2023 को आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के आदेशानुसार "राजस्थान राज्य महिला नीति 2021" के अनुसार 2022-23 के सत्र के दिसम्बर माह की गतिविधियों के तहत महिला प्रकोष्ठ द्वारा को "हरित क्रान्ति और जैविक खेती" विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पोस्टर प्रतियोगिता का परिणाम इस प्रकार रहा –

- प्रथम – श्रुति डबगर , प्रथम वर्ष वाणिज्य
- द्वितीय – मोना बावरी , द्वितीय वर्ष कला
- तृतीय – विशाखा शर्मा , द्वितीय वर्ष कला



आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के आदेशानुसार "राजस्थान राज्य महिला नीति 2021" के अनुसार 2022-23 के सत्र के जनवरी माह की गतिविधियों के तहत महिला प्रकोष्ठ द्वारा छात्राओं को दिनांक 12.12.2022 में डॉ. नदीम चिश्ती सहआचार्य प्राणीशास्त्र द्वारा वनस्पति उद्यान में व्याख्या दिया गया जिसका विषय था। "वार्मी कम्पोस्ट द्वारा जैविक खेती"। डॉ. नदीम चिश्ती ने छात्राओं को वार्मी कम्पोस्ट बनाने की विधि बताकर 20 छात्राओं द्वारा ही वार्मी कम्पोस्ट चिट तैयार करवाये।





दिनांक 12.01.2023 को शैक्षणिक भ्रमण हेतु शौभागपुरा ग्राम पंचायत ले जाया गया। छात्राओं ने पंचायत समिति कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के सहयोग से नरेगा, ग्रामीण विकास योजनाओं एवं इनको व्यवहार में लागू करने में आने वाली समस्याओं के व्यावहारिक पक्षों को जानने का प्रयास किया। छात्राओं ने पंचायत समिति की कार्यप्रक्रिया को बारीकी से जानने का प्रयास किया। ग्राम विकास अधिकारी श्री अरविन्द कुमार वर्मा ने ग्राम पंचायत के गठन व कार्यों से छात्राओं को अवगत कराया एवं उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया छात्राओं ने यह भी जानने का प्रयास किया कि राजनीति में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करने में महिलाओं को क्या समस्याएँ आती हैं। यह भ्रमण छात्राओं के लिए बहुत लाभदायक क्योंकि छात्राओं ने स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाओं की कार्यप्रणाली को व्यावहारिक रूप से समझा। पंचायत समिति के कर्मचारियों ने छात्राओं की जिज्ञासाओं को शांत कर उनका ज्ञानवर्धक किया।

यह शैक्षणिक भ्रमण महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. निधि शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉ. लाजवन्ती बनावत, डॉ. कीर्ति माथुर एवं डॉ. इन्दु शर्मा का सक्रिय सहयोग रहा। इस शैक्षणिक भ्रमण में छात्राओं ने उत्साहपूर्ण भाग लेकर अपने व्यावहारिक ज्ञान में अभिवृद्धि की।





आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेशानुसार "राजस्थान राज्य महिला नीति 2021" के अनुसार सत्र 2022-23 मे दिनांक 07.02.2023 को महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में छात्राओं को आशाधाम आश्रम का भ्रमण करवाया गया। छात्राओं ने आश्रम के संचालन संबंधी समस्त गतिविधियों को समझा। वहाँ स्थित बायोगैस संयंत्र एवं गौशाला का अवलोकन कर उसकी कार्यप्रणाली से अवगत हुए। किस तरह आश्रम अपने आप मे ही स्वावलम्बन एवं अपनी आवश्यकताओं को परिपूर्ण कर रहा है, उसका जीवन्त उदाहरण गौशाला एवं बायोगैस संयंत्र का अवलोकन कर छात्रो द्वारा समझा गया। दान में दिये गये अधिकाधिक वस्त्रों एवं कपड़ो का किस प्रकार सदुपयोग कर रस्सियां बनाई जाती है एवं उन्हें आश्रमवासियो द्वारा दरियो एवं चट्टाईयों का रूप दिया जाता है, इससे छात्रायें काफी प्रभावित हुई।

आश्रम में मानसिक रूप से विमंदित मरीजो की देखभाल और सेवा – भाव से छात्राएँ परिचित हुई। छात्राओं ने महिला – प्रकोष्ठ की प्रभारी डॉ. निधि शर्मा और सदस्य डॉ. रितु दुबे के नेतृत्व में समस्त आश्रम का अवलोकन किया।





सत्र पर्यन्त उड़ान योजना के तहत महिला प्रकोष्ठ द्वारा निःशुल्क सेनेटरी नेपकिनस द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया ।

महिला प्रकोष्ठ की सम्पूर्ण गतिविधियाँ प्रभारी डॉ. निधि शर्मा के निर्देशन में सम्पन्न की गई, जिसमे महिला प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों मे डॉ. कीर्ति माथुर, डॉ. इन्दु शर्मा, डॉ. मनीषा चौबीसा, डॉ. वैशाली देवपुरा , डॉ. सोफिया नलवाया एवं डॉ. ऋतु दुबे की सक्रिय भागीदारी रही ।

(डॉ. निधि शर्मा)
प्रभारी
महिला प्रकोष्ठ